रिपोर्टेबल

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता

आपराधिक अपीलीय संख्या 515-516/2018

(विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) सं. 6453-54/2015से उत्पन्न)

मुंशीराम - अपीलकर्ता (एस)

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य - प्रतिवादी (एस)

निर्णय

एन. वी. रमण, न्यायाधीश

1. अनुमति प्रदानकी गई।

2. ये अपीलें अंतिम निर्णय और आदेश, दिनांक 01.04.2015 के विरुद्ध की जाती हैं, जो 15.04.2015 को राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा एस. बी. आपराधिक विविध याचिका संख्या 2372/2014और 3508/2014में पारित किया गया, जिसमें उच्च न्यायालय ने भारतीय

दंड भा.दं.सं. की धारा 306 के तहत दायर प्राथमिकी संख्या 318/2013 को रद्द कर दिया।

3. वर्तमान में मामले का विश्लेषण करने से पहले, इस मामले के तथ्यों का अवलोकन करना आवश्यक होगा जिसने उपर्युक्त प्राथमिकी को जन्म दिया। यहां अपीलकर्ता (बृजेश सिंह) के मृत बेटे का विवाह प्रतिवादी नं. 2 पत्नी (खुशबू) से 10.2.2008 को हुआ था। उपर्युक्त विवाह से इस दंपति को 29 अक्तूबर, 2009 को एक पुत्र सन्तान प्राप्त हुई। उल्लेखनीय है कि पहले भी पत्नी ने अपने पति के खिलाफ कई बार शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन आखिरकार इस मामले में समझौता हो गया। इसके अलावा, पति ने भी 13.7.2010 को शिकायत दर्ज कराई थी। मृतक और उसके परिवार पर उसके और उसके परिवार द्वारा किए गए अत्याचारों का आरोप लगाते हुए 07 मार्च, 2013 को, प्रत्यर्थी-पत्नी ने मृतक के विरुद्ध एक और कार्यवाही संस्थित की। यह आरोप लगाया गया है कि मृतक आपराधिक मामले में झूठे निहितार्थ के कारण गिरफ्तारी और उत्पीड़न के लगातार डर में था। इसके बाद मृतक और प्रतिवादी पत्नी के बीच एक समझौता किया गया, जिसमें उसने पूर्वोक्त घटनाओं में से किसी को न दोहराने का वादा किया था. इसके बाद, प्रतिवादी ने फिर से भारतीय दंड भा.दं.सं. की धारा 147, 323, 341 व 351 के तहत मृतक और याचिकाकर्ताकर्ता के खिलाफ की प्राथमिकी नं.

152/2013दायर की। यहां यह उल्लेख करना संदर्भ से बाहर नहीं होगा कि प्रतिवादी-पत्नी ने भी अपीलकर्ता के मृत बेटे के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दायर किया। यह आरोप लगाया गया है कि 8.7.2013 को, पत्नी और अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा किए गए निरंतर अपमान और पीड़ा के कारण, अपीलार्थी के बेटे (बृजेश सिंह) ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले मृतक ने दो सुसाइड नोट लिखे थे, जिन्हें यहां दर्ज करना आवश्यक है।

आत्महत्या नोट1

> मेरी पत्नी खुशबू और उसके माता-पिता और परिवार के सदस्य शादी के बाद से मुझे और मेरे परिवार को धमकी दे रहे हैं कि हम डकैत हैं और हम आपको मार डालेंगे और दहेज और घरेलू हिंसा के झूठे मामले भी दर्ज किए हैं। मेरी पत्नी खुशबू के अपने पड़ोसी के साथ अवैध संबंध हैं और अन्य लोग भी उनकी मदद करते रहते हैं। मेरी पत्नी, मेरे ससुराल वाले और ये लड़के मेरे माता-पिता की फैक्ट्री और घर हड़पना चाहते हैं, इसलिए वे हमें प्रताड़ित करते रहते हैं और मुझे और मेरे माता-पिता को मेरे बेटे से मिलने की अनुमति नहीं देते हैं। मैं और मेरे

माता-पिता शादी के बाद से ही बहुत पीड़ा में हैं। कारखाने में कुल निवेश मेरे पिता द्वारा किया जाता है और मैंने एक भी पैसा योगदान नहीं दिया है। मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चे से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन उसे मुझसे और मेरे माता-पिता से कोई लगाव नहीं है, इसलिए उसके माता-पिता हमें धमकाते रहते हैं और झूठी शिकायत दर्ज कराते रहते हैं और मेरे माता-पिता और मेरी बहन को झूठे मामलों में फंसाकर घर और कारखाने को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। (संपादित किया गया)

आत्महत्या नोट2

मेरी पत्नी खुशबू अपने पड़ोस में रहने के प्रभाव में, उसके माता-पिता और अन्य ससुराल वालों ने मेरे, मेरे माता-पिता और मेरी बहनों के खिलाफ एक झूठा मामला दर्ज कराया है। जिसके कारण मैं गहरे मानसिक तनाव में हूं। मैं आत्महत्या कर रहा हूं। ये सभी मेरे माता-पिता के घर और कारखाने पर कब्जा करने की साजिश कर रहे हैं। मेरे माता-पिता बूढ़े हैं और उनकी मदद की जा सकती है। फैक्ट्री में पूरा

निवेश मेरे पिता द्वारा उनकी सेवानिवृत्ति के बाद किया जाता है। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। मेरी पत्नी इन सभी को हड़पने के बाद दिल्ली भाग जाना चाहती है और हर दिन हमें गाली देती है और हमें मारने की धमकी भी देती है। वह हमें मेरे बेटे से मिलने नहीं देती। मैंने हमेशा अपनी पत्नी से प्यार किया है। उसने हमेशा मुझे धोखा दिया है। उसे मेरे माता-पिता के घर से हटाया जा सकता है। मेरे माता-पिता की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। (संपादित किया गया)

4. इस संदर्भ में, अपीलकर्ता द्वारा भारतीय दंड भा.दं.सं. की खंड 306 के तहत प्रत्यर्थी-पत्नी और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने उसके बेटे को परेशान किया, जिसके कारण अंततः उसने आत्महत्या कर ली ।

5. 11 मार्च, 2014 को पुलिस ने निचली निचली अदालत को रिपोर्ट दी, जिसमें यह कहा गया कि आत्महत्या नोट फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार मृतक की लिखावट से मेल खाते पाए गए।

6. आरोपी प्रतिवादी के खिलाफ दर्ज की जा रही उपर्युक्त प्राथमिकी से व्यथित होकर, उन्होंने भा.दं.सं. की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के अपराधों के लिए एफआईआर संख्या 318/2013 को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक याचिका दायर की।

7. उच्च न्यायालय ने दिनांक 15.04.2015 के आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा यह मत व्यक्त किया। 2015 में उपरोक्त प्राथमिकी को इस आधार पर रद्द कर दिया कि इस मामले में आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का कथित अपराध साबित नहीं हुआ था। इस मामले की चर्चा पर आगे बढ़ने से पहले उच्च न्यायालय के तर्क को ध्यान दें करना प्रासंगिक होगाः

अ. कि न्यायालय की राय थी कि सुसाइड नोट विभिन्न मुकदमेबाजी और आपराधिक शिकायतों का संदर्भ देता है जो मृतक के कार्यों का परिणाम थे और उसे परेशान करने की दृष्टि से दायर नहीं किए गए थे। ब.प्रतिवादी-पत्नी द्वारा व्यभिचार से संबंधित आरोप रिकॉर्ड पर किसी भी सामग्री द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है।

स.समझौता शपथपत्र में मृतक के बुरे व्यवहार और शराब की लत को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है।

द. कि सुसाइड नोट में निहित आरोपों से आत्महत्या के लिए उकसाने या उकसाने के तत्वों का पता नहीं चला । यह कि मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने या उकसाने के अभियुक्त के इरादे को दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं है।

य. यह कि आत्महत्या नोट मृतक की ओर से अवसाद को स्वीकार करते हैं ताकि वह आत्महत्या कर सके।

8. आक्षेपित आदेश से व्यथित मृतक (यहां अपीलकर्ता) के पिता ने इस विशेष अनुमति याचिका द्वारा से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

9. अपीलकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार तर्क दिया है कि पुलिस को मामले की जांच करने की अनुमति दिए बिना प्रारंभिक स्तर पर प्राथमिकी को रद्द करना सही नहीं है क्योंकि यह समय से पहले था। उन्होंने आगे स्थिति रिपोर्ट के साथ-साथ एफएसएल रिपोर्ट पर भरोसा किया है कि जांच को जारी रखने के लिए एक प्रथमदृष्टया मामला था।

10. इसके विपरीत, प्रतिवादी की ओर से वकील ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है और प्रतिवाद किया है कि आत्महत्या मृतक का अपना कार्य था और दोनों मामलों में प्रत्यर्थी किसी भी दोष से परे थे क्योंकि मृतक पर थोपा गया मुकदमा पूरी तरह से उसके अपने कार्यों और व्यवहार के कारण था।

11. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के बाद हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने पुलिस द्वारा उचित जांच किए बिना समय से पहले प्राथमिकी को रद्द कर दिया है। इसके अलावा, यह अब पूर्ण नहीं है कि एफआईआर को रद्द करते समय सीआरपीसी की धारा 482 का सावधानी से उपयोग किया जाना चाहिए। इस अदालत ने मामलों की एक श्रृंखला में प्राथमिकी को केवल इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद ही रद्द कर दिया है कि ऐसे मामलों में जांच जारी रखने से प्रक्रिया का दुरुपयोग ही होगा। इस मामले में, अदालत ने जांच को संक्षिप्त किया, जो आत्महत्या करने से पहले मृतक की किसी पूर्व मानसिक स्थिति के अस्तित्व या अस्तित्व न होने के बारे में प्राथमिकी में किए गए कुछ तथ्यात्मक दावों का पता लगाने के लिए आवश्यक था।

12. हमें एफएसएल रिपोर्ट से अवगत कराया गया है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मृतक की लिखावट और सुसाइड ध्यान दें में मौजूद लिखावट में समानताएं हैं। इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः

जांच के दौरान अस्पताल से मृतक बृजेश सिंह की जानकारी मिलने और सीआरपीसी की धारा 174 के तहत मृत्यु प्राथमिकी 15/13 दर्ज करने के बाद जांच शुरू की गई। निरीक्षण के दौरान घटना स्थल से हस्तलिपि

बरामद की गई, जिसकी पहचान शिकायतकर्ता द्वारा अपने बेटे की हस्तलिपि के रूप में की गई और उसे हिरासत में ले लिया गया।शिकायतकर्ता मुंशी राम, गवाह श्री अजय कुमार, हाकम सिंह, श्रीमती ओमबाती, श्रीमती रेखा, श्रीमती मीना, श्रीमती पुष्पा और श्री शेर सिंह के सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बयान दर्ज किए गए। इसके बाद मुंशी राम ने प्राथमिकी संख्या 318/2013 दर्ज कराई। मृतक का पोस्टमॉर्टम और पंचायतनामा किया गया था और इस दौरान, मृतक के हाफ पैंट से लिखित बिना हस्ताक्षर वाला ध्यान दें बरामद किया गया था और इसे भी कब्जे में ले लिया गया था। मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया गया। मृतक द्वारा पहने गए कपड़ों को कब्जे में ले लिया गया और शव को अंतिम संस्कार के लिए परिवार के सदस्यों को सौंप दिया गया। 03 अगस्त, 2013 को फाइल आगे की जांच के लिए एसीसी, सदर को अग्रेषित की गई, जिसने जांच के लिए एफएसएल को सुसाइड नोट भेजा। संदिग्ध का कॉल विवरण प्राप्त किया गया और 17 फरवरी, 2014 को मुख्य फाइल एएसीपी, वैशाली नगर को सौंप दी गई। उसके द्वारा सुसाइड नोट के संबंध में एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त की गई।दिनांक 18.2.2014 को मामले की फाइल आगे की जांच के लिए उपायुक्त को भेजी गई जिन्होंने श्रीमती श्रावणी देवी, श्रीमती विमला देवी, स्व. कलावती, श्रीमती राधा अग्रवाल, श्रीमती मंजू चौधरी, श्री दीपाक्षी @ चारू, श्री हरीश अग्रवाल के बयान सीआरपीसी की धारा 161

के तहत लिये। उपायुक्त द्वारा मामला संख्या 318/13 में डीसीपी के आदेश संख्या 8225-27 के अनुसार की गई जांच के आधार पर और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सबूतों के आधार पर यह स्थापित होता है कि आरोपी व्यक्ति (1) खुशबू (2) धर्मपाल (3) श्रीमती। सुशीला (4) हवा सिंह ने आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध किया है। अभियुक्त श्रीमती खुशबू पत्नी बृजेश सिंह पुत्र धर्मपाल सिंह जाति बावरिया, उम्र 25 वर्ष, सुशीला पत्नी श्री धर्मपाल सिंह जाति बावरिया, उम्र 43 वर्ष और धर्मपाल सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री राम सिंह जाति बावरिया, उम्र 45 वर्ष को इस मामले में गिरफ्तार किया गया । शेष आरोपी हवा सिंह को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जा सका क्योंकि वह फरार था और 8 अगस्त, 2014 से माननीय उच्च न्यायालय ने जांच पर रोक लगा दी है। तथ्यों की स्थिति रिपोर्ट आपको भेजी जा रही है।**(जोर दिया गया)**

13. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जांच लंबित थी और ऐसे प्राथमिकी हैं जिनके लिए जांच की आवश्यकता हो सकती है, हमारी यह सुविचारित राय है कि उच्च न्यायालय ने जांच को आगे बढ़ाने की अनुमति दिए बिना प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को निरस्त करने में गलती की।हम मृतक की स्थिति और आत्महत्या करने के कारणों के बारे में प्रतिवादी द्वारा किए गए कुछ तथ्यात्मक दावों के बारे में आक्षेपित निर्णय के तहत प्रदान किए गए कारणों से सहमत नहीं हो सकते हैं,

क्योंकि कथित की स्वीकृति सीआरपीसी की खंड 482के तहत स्थापित न्यायशास्त्र के अनुरूप नहीं होगी, जैसा कि इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा निर्धारित किया गया है ।

14. यह ध्यान देना प्रासंगिक होगा कि इसमें की गई किसी भी टिप्पणी को गुण-दोष के आधार पर टिप्पणियों के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए और हम जांच प्राधिकारी के साथ-साथ न्यायालय को निर्देश देते हैं कि वह अपनी योग्यता के आधार पर इस मामले पर विचार करे और इसमें की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित न हो।

15. इसलिए, हमने आक्षेपित निर्णय को दरकिनार करते हुए जांच अधिकारियों को जांच को तत्परता से पूरा करने और इसे तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने का निर्देश दिया है। तदनुसार, इन अपीलों को स्वीकार किया जाता है ।

एन. वी. रमण, न्यायाधीश

एस. अब्दुल नजीर, न्यायाधीश

नई दिल्ली

9 अप्रैल, 2018

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**'के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।